2010: सी.जी.एच.सी: 12078

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय बिलासपुर

युगल पीठ

न्यायपीठ**: माननीय श्री टी.पी. शर्मा और**

: माननीय श्री राजेश्वरलाल झंवर, न्यायधीशगण

दांडिक अपील संख्या 1099/1993

अपील कर्ता (जेल में) : तुलसीराम नाई

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश:

मैं सहमत हूँ

हस्ताक्षरित/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषना हेतु सुचिबंध करे

हस्ताक्षरित/-
न्यायाधीश
19-03-2010.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

न्यायपीठ**:** माननीय श्री टी.पी. शर्मा और

: माननीय श्री राजेश्वरलाल झानवर, **न्यायधीशगण**

दांडिक अपील संख्या **1099/1993**

अपीलकर्ता (जेलमें): तुलसीराम नाई, उम्र 25 वर्ष , पिता महेशराम नाई, निवासी ग्राम कन्हैया पारा, पुलिस थाना पाली, जिला बिलासपुर

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य, पुलिसथाना पाली (अब छत्तीसगढ़)

दांडिक प्रक्रिया संहिता की धारा **374 (2)** के तहत अपील ज्ञापन

उपस्थिति**:**

श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता
श्री संदीप यादव, राज्य के लिए उपसरकारी अधिवक्ता

निर्णय

(दिनांक**19.03.2010** को सुनाया गया**)**

निम्नलिखित निर्णय आर.एल. झंवर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में दिनांक 23 मार्च, 1993 को सत्र न्यायालय के तृतीय सत्र न्यायालय, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या173/1989 में पारित दोष सिद्धि के निर्णय और दंड देय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता तुलसीराम को अपनी पत्नी–श्रीमती द्रौपदी

की हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद, अपीलकर्ता को भारतीय दंड सहित की धारा 201 और 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

2. दोष सिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी सबूत के, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को उपरोक्त रूप से दोषी ठहराया और सजा सुनाई और इस प्रकार अवैधता की है।

3.संक्षेप में अभियोजन कहानी यह है कि श्रीमती द्रौपदी (जिसे इसके बाद मृतक कहा गया) के साथ शादी से पहले, अपीलकर्ता ने श्रीमती केजाबाई के साथ शादी की थी। चूंकि श्रीमती केजाबाई की विवाह के समय उनकी उम्र गौना की रस्म अदा करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता को मृतक श्रीमती द्रौपदी बाई के साथ विवाह संपन्ना करना पड़ा। गौना की रस्म के बाद, अपीलकर्ता श्रीमती केजाबाई को अपने साथ लाया और श्रीमती द्रौपदीबाई के साथ रहने लगा। अपीलकर्ता और उसकी मां जमुनाबाई, श्रीमती केजाबाई का बहुत ध्यान रखते और उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखते थे क्योंकि वह बहुत सुंदर दिखती थी, जबकि उसी समय मृतक के साथ अपीलकर्ता और उसकी मां द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया गया जिसके कारण मृतक को अपना ससुराल घर छोड़ना पड़ा। हालांकि, अपीलकर्ता और उसके बहनोई द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के कारण, मृतक फिर से वापस आ गई और उसके साथ रहने लगी। घटना की तारीख यानी दिनांक 08.11.1988 को, मृतक ने अपीलकर्ता से श्रीमती केजाबाई को उसके मायके भेजने का अनुरोध किया या उसे यह कहकर धमकी दी कि वह अपनी मां के साथ सोना चाहती है, उसके साथ नहीं। अपीलकर्ता नाराज हो गया और उस का गला घोंट दिया और उसकी मृत्यु कारित किया। उसके बाद, उस पर मिटटी तेल डालकर आग लगा दी। उसने कमरे को बाहर की तरफ से बंद कर दिया और श्रीमती केजाबाई के साथ अपने खेत में भाग गया। आग लगने के परिणामस्वरूप, उसके घर से धुआं निकलने लगा, अपीलकर्ता की मां ने एक लोरिकराम (अ.स.1) के माध्यम से अपने बेटे को धुआं निकलने के बारे में संदेश दिया। तब अपीलकर्ता लोरिकराम और सह-अभियुक्त श्रीमती केजाबाई के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। कमरे के बाहर से बंद होने के बावजूद, अपीलकर्ता ने जबरन कुल्हाड़ी से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दरवाजा तोड़ा और कमरे में प्रवेश किया जहां मृतक का जला हुआ शव बिस्तर के नीचे पाया गया, उसके बाद आग बुझा दी गई। दिनांक 08.11.1988 को अपीलकर्ता ने पुलिस थाना पाली में मृतक की आग से जलकर मौत होने की सूचना प्रदर्श-पी/6 के माध्यम से दी। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और गवाहों को प्रदर्श-पी/7 के माध्यम से आहूत करने के बाद, मृतक के शव का पंचनामा प्रदर्श-पी/8 तैयार किया गया। शव को परीक्षण के लिए प्रदर्श-पी/2 के माध्यम से भेजा गया और डॉ. जी.एल. नायडू अ.स.9 द्वारा शव का शव परीक्षण प्रदर्श-पी/3 के माध्यम से किया गया, जिन्होंने जांच करने पर मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- दोनों अंगों में कठोरता मौजूद थी।
- जीभ बाहर निकली हुई थी और दांतों के बीच फंसी हुई थी।
- आंखें बंद थीं।
- नाक और मुंह से खून मिला हुआ तरल पदार्थ देखा गया।
- शरीर जली हुई अवस्था में था जिसमें चेहरा, स्तन, दोनों ऊपरी अंग, बाल, शरीर का पिछला भाग और निचले अंग शामिल थे, सिवाय पैरों और दोनों निचले अंगों के कुछ हिस्सों को छोड़कर। निचले पेट के क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो “करधन” के नीचे था, वह नहीं जला था।
- आंतरिक जांच में, उन्होंने पाया कि दोनों फेफड़े, श्वासनली और स्वरयंत्र में रक्त जमा हुआ था और हृदय और बड़ी नसें खाली पाई गईं। प्लीहा, यकृत और गुर्दे में रक्त जमा हुआ पाया गया। गर्भाशय सामान्य था और सामान्य आकार का था। जली हुई त्वचा में लालिमा की

कोई रेखा नहीं देखी गई और इसलिए जलना मृत्यु पश्चात् प्रकृति का था। अवधि 48 घंटे के भीतर थी।

- कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकी, इसलिए आगे के विश्लेषण के लिए विसरा को संरक्षित किया गया। जांच के दौरान आवश्यक जब्ती की गई। अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पत्र दिनांक 19.11.1988 को 17.00 बजे दायर किया गया था।

4. अन्वेंषण पूर्ण होने के बाद, भारतीय दंड संहिता भा.दं.स. की धारा 302/34 और 201 के तहत अभियोग पत्र अपीलकर्ता के साथ सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में दायर किया गया, जिसने नियत समय में मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपरपित कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने मामले को तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को सौंप दिया, जिन्होंने मामला प्राप्त करने के बाद अपीलकर्ता के खिलाफ भा.दं.स. की धारा 302/201 के तहत आरोप विरचित किए और आरोप की सामग्री अपीलकर्ता/अभियुक्त के साथ सह-अभियुक्त व्यक्तियों को पढ़कर सुनाई और समझाई गई, जिन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया और निर्दोष होने तथा झूठे फंसाए जाने का अभिवक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलकर्ता/अभियुक्त और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया है। दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता/अभियुक्त के साथ सह-अभियुक्त व्यक्तियों की परीक्षा की गई, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता और झूठे फंसाए जाने का तर्क दिया।बचाव पक्ष ने तीन गवाहों, अर्थात

यमजी ब.स.1, जयराम सिंह ब.स.2 और बसंत कुमार सिंह ब.स.3 का परीक्षण कराया, जिन्होंने कहा कि दरवाजा अंदर से बंद था और घटना के समय सभी अभियुक्त व्यक्ति अपने खेत पर थे।

6. पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सह-अभियुक्त व्यक्तियों यानी श्रीमती जमुना बाई और श्रीमती केजाबाई को धारा 302 और 201/34 भा.दं.स. के आरोपों से दोषमुक्त करते हुए अपीलकर्ता को उपर्युक्त अनुसार दोष सिद्ध किया और दण्डादिस्ट किया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. अपीलकर्ता की ओर से पेश अभिवक्ता श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी ने जोरदार तर्क दिया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला साबित करने की आवश्यकता होती है ताकि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं में, अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और उसके अलावा किसी अन्य ने नहीं। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने खुद प्रदर्श-पी/5 के माध्यम से मर्ग सूचना दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि मुसमत द्रौपदी घर में अकेली थी और वह और मुसमत केजाबाई खेत में मौजूद थे और लोरिकराम से सूचना मिलने पर वह तुरंत वहां पहुंचा और दरवाजा तोड़ा जिससे पता चलता है कि उसकी कोई भूमिका नहीं है। मृतका ने खुद मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। अपीलकर्ता के खिलाफ यह दिखाने के लिए एक भी सबूत नहीं है कि उसने अपराध किया है। अंत में, यह तर्क दिया गया कि परिस्थितियां वास्तव में अपीलकर्ता के खिलाफ ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जो यह निष्कर्ष

निकालने के लिए पर्याप्त हों कि अपीलकर्ता वह व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और अपीलकर्ता को छोड़कर किसी ने भी अपराध नहीं किया है।

8. इसके विपरीत, राज्य के और से विद्वान अभिवक्ता ने अपील का वाह दृढ़तापूर्वक से विरोध किया और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त हैं और अपीलकर्ता को छोड़कर किसी ने भी अपराध नहीं किया है। हालांकि डॉक्टर निश्चित राय पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से राय दी है कि जलने की चोट मृत्यु के पश्चात् की थी जिससे पता चलता है कि अपीलकर्ता ने पहले मृतका का गला घोंटा और फिर उसे आग लगा दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिवक्ताओ को विस्तार से सुना तथा आक्षेपित निर्णय एवं अधिनयस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया। सबसे पहले, यह देखना होगा कि मृतका की मृत्यु मानववाद था या आत्माध्यात्मक प्रकृति की थी और उपरोक्त प्रश्न पर विचार करने के लिए हमने डॉ. जी.पी. नायडू अ.स.9 के साक्ष्य की बारीकी से जांच की है, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने मृतका के शरीर का शव परीक्षा किया। 5 मृतक है और उसने राय दी है कि "त्वचा में कोई ललिमा की कोई रेखा नहीं देखी और इसलिए जला हुआ हिस्सा मृत्यु पश्चात् का था और इसकी अवधि 48 घंटे के भीतर थी", चूंकि डॉक्टर द्वारा कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकी, इसलिए आगे के विश्लेषण के लिए विसरा को संरक्षित किया गया क्योंकि जला हुआ

हिस्सा मृत्यु पश्चात् का प्रतीत होता है। इस प्रकार, डॉक्टर ने शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/3 को सिद्ध किया है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा डॉ. जी. पी. नायडू अ.स.9 से प्रदर्श-पी/4 के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर द्वारा प्रदर्श-पी/4 A के माध्यम से दिया गया था, जिस के अनुसार श्वासनली में कार्बन के कण नहीं थे और डॉक्टर द्वारा यह संभावना व्यक्त की गई थी कि यदि कोई व्यक्ति जलकर मर जाता है तो उसकी नाक और श्वासनली में कार्बन के कण उपलब्ध होंगे। डॉक्टर जी.पी. नायडू ने यह भी कहा कि जली हुई त्वचा में कोई लालीमा रेखा नहीं देखी गई और इस प्रकार जला हुआ हिस्सा संभवतः मृत्यु पश्चात् का था। अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रदर्श-पी/5 के माध्यम से एक और प्रश्न पूछे जाने पर, डॉक्टर ने प्रदर्श-पी/5 A के माध्यम से सूचित किया कि यदि किसीने 48 घंटे के भीतर या 48 घंटे से अधिक समय तक भोजन नहीं किया है, तो बड़ी और छोटी आंतें संभवतः खाली पाई जाएंगी। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि गला घोंटने के कारण जीभ बाहर निकल आएगी और दांतों के बीच फंस जाएगी। उन से एक प्रश्न पूछे जाने पर, डॉक्टर ने यह भी कहा है कि यदि शरीर को मृत्यु पश्चात् जलाया जाता है, तो लालीमा की रेखा नहीं मिलेगी। डॉक्टर के अनुसार, शव परीक्षण में, मृतक के शरीर में यह नहीं पाया गया कि श्वास नली में कार्बन के कण मौजूद थे। उनके द्वारा यह भी कहा गया किय दि कोई व्यक्ति कमजोर या अशक्त है, तो लालीमा की रेखा नहीं मिलेगी। डॉक्टर ने आगे राय दी कि जलने के कारण, गर्दन पर कोई चोट का पता लगाना उनके लिए संभव नहीं था। डॉक्टर ने विशेष रूप से कहा है कि स्वर यंत्र और श्वास नली में कार्बन के कण नहीं पाए गए थे; इसलिए, यह स्पष्ट है कि मृत्यु के बाद, मृतक को जलाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मृतक की मृत्यु के बारे में सभी प्रश्न आर. तिर्की, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए थे। उनके अनुसार, पंचनामा तैयार किया गया था जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि आंखें खुली थीं, जीभ लगभग 1" बाहर निकली हुई थी और दांतों के बीच फंसी हुई थी और बाहर निकली हुई जीभ पर कार्बन के कण पाए गए थे। उसमें यह भी कहा गया था कि जलने के कारण त्वचा बाहर निकली हुई पाई गई थी और उस पर लालिमा थी। मृत शरीर पर कोई चोट हीं पाई गई। इस दृष्टिकोण में, यह स्पष्ट है कि लालीमा की रेखा मुख्य बिंदु थी, और इसलिए, एक प्रश्न पूछा गया था। लालीमा के संबंध में, यदि यह मृतक के शरीर पर पाई जाती, तो चोट निश्चित रूप से मृत्यु-पूर्व की होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. जहाँ तक डॉक्टर के साक्ष्य का संबंध है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। मोदी की मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, एडिशन 1981 के पेज 199 पर, मृत्यु-पूर्व और मृत्यु-पश्चात जलने के घावों के बीच अंतर किया गया है, जो इस प्रकार है:

लालिमा रेखा जीवित रहने के दौरान लगी जलन के मामले में, चोटिल हिस्से के चारों ओर पूरी वास्तविक त्वचा को शामिल करते हुए एक लालिमा रेखा बनती है। यह एक स्थायी रेखा है, जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, लेकिन इस लालिमा की रेखा से परे पाई जाने वाली लालिमा या एरिथेमा, जो केशिकाओं के फैलाव के कारण होती है, क्षणिक होती है, जीवित रहने के दौरान दबाव डालने पर गायब हो जाती है और मृत्यु के बाद फीकी पड़ जाती है। लालिमा रेखा, एक महत्वपूर्ण कार्य होने के नाते, जीवित ऊतक को मृत ऊतक से अलग करती है, और जीवित रहने

के दौरान लगी जलन में हमेशा मौजूद रहती है, हालांकि इसे प्रकट होने में कुछ समय लगता है। इसलिए यह संभव है कि यह बहुत कमजोर संविधान वाले व्यक्ति के मामले में अनुपस्थित हो सकती है, जिसकी मृत्यु जलन के कारण लगे झटके से तुरंत हो जाती है।

फफोले बनना जीवित रहने के दौरान लगी जलन के कारण हुए फफोले में एल्ब्यूमिन और क्लोराइड युक्त एक सीरस द्रव होता है, और इसका आधार लाल, सूजन वाला होता है जो उभरी हुई होती हैं। इसके चारों ओर की त्वचा चमकीले लाल या तांबे के रंग की होती है। इसे सच्चे फफोले के रूप में जाना जाता है, जिसकी तुलना झूठे फफोले से की जाती है जो मृत्यु के बाद उत्पन्न होते हैं। झूठे फफोले में केवल हवा होती है, लेकिन इसमें सीरम की बहुत कम मात्रा हो सकती है जिसमें एल्ब्यूमिन का एक अंश हो सकता है, लेकिन क्लोराइड नहीं, जैसा कि सामान्य जलोदर से पीड़ित व्यक्ति में होता है। फिर से, इसका आधार लाल और सूजन वाले होने के बजाय, कठोर, सूखा, सींग जैसा और पीला होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुधारतपक प्रक्रियाएं, जैसे सूजन के संकेत, दानेदार ऊतक का निर्माण, मवाद और स्लोफ्स यह संकेत देंगे कि जलन जीवनकाल के दौरान लगी थी। मृत्यु के बाद लगी जलन एक सुस्त सफेद रंग की दिखती है जिसमें त्वचा ग्रंथियों के छिद्र भूरे रंग के होते हैं। आंतरिक अंग भुने हुए होते हैं, और एक अजीब अप्रिय गंध छोड़ते हैं।

इस तरह, डॉक्टर जी.पी. नायडू ने तीन चीजें नहीं पाई हैं, यानी, लालिमा रेखा, फफोले और सुधारतपक प्रक्रियाएं, और यह स्पष्ट है कि मृतक एक युवा महिला थी और एनीमिक और दुर्बल नहीं थी। यह भी डॉ. जी.पी. नायडू के साक्ष्य से स्पष्ट है कि जलन सतही थी लेकिन दाएं अंगों के कुछ हिस्से ऊपर और दाईं कोहनी गहराई से जले हुए थे। शरीर की मुद्रा प्यूगिलिस्टिक या

फेंसिंग मुद्रा थी। शव परिक्षण प्रदर्श-पी/3 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर सतही जलन के घाव पाए गए थे और शरीर की मुद्रा प्यूगिलिस्टिक बॉक्सर की तरह थी। शव परिक्षण के अनुसार, यह भी स्पष्ट है कि जली हुई त्वचा में लाल रेखाएं मौजूद नहीं थीं और तापमान के कारण शरीर के विभिन्न हिस्से जल गया थे।

विभिन्न स्थान जैसे चेहरा, स्तन, दोनों हाथ, ऊपरी अंग, बाल, पीठ और दोनों पैर जले हुए थे सिवाय निचले हिस्से के और यह भी स्पष्ट था कि जलने के निशान सतही थे, लेकिन दाहिनी कोहनी गहराई तक जली हुई थी। शव परिक्षण प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि जीभ बाहर निकली हुई थी, मुंह बंद था, आंखें आधी बंद थीं, श्वासनली, स्वरयंत्र और फेफड़े संकुलित थे, श्वासनली और स्वरयंत्र के अंदर कोई कार्बन कण नहीं मिला, कोरोनरी नसें निकली हुई थीं और यकृत, गुर्दे और तिल्ली संकुलित थे। मृत्यु पूर्व जलने के मामले में, जले हुए और बिना जले हुए हिस्सों के बीच लालिमा की रेखा जिसे 'महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया' कहा जाता है, एक प्रमुख विशेषता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यदि शरीर खुली जगह में नहीं जलाया गया था, तो मृत्यु पूर्व जलने के मामले में व्यक्ति कालिख कार्बन के कणों को अंदर लेगा और वे ही कण स्वरयंत्र, कंठ नाली, मुख्य श्वास नली और लघु श्वास नली के अंदर होंगे। यहां तक कि मृत्यु के बाद जलने के मामले में भी, यदि मुंह खुला था, तो मुंह में का लिख के कार्बन कण मिल सकते हैं लेकिन अन्न प्रणाली में नहीं। शरीर की मुक्केबाजी की मुद्रा भी जलने की चोट के मामले में मृत्यु पूर्व जलने का एक संकेत है। एक शरीर जो बुरी तरह से जला हुआ होता है, वह 'मुक्केबाजी की मुद्रा' के रूप में जानी जाने वाली उपस्थिति धारण कर लेता है और यह गर्मी की अकड़न और मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है, जिससे हाथ कोहनी पर मुड़ जाते हैं और हाथ बंद हो जाते हैं, सिर थोड़ा फैला हुआ होता है और घुटने मुड़े हुए होते हैं। यह उपस्थिति एक लड़ाई में

लगे व्यक्ति द्वारा अपनाई गई स्थिति से मिलती जुलती है और कभी-कभी यह संदेह पैदा करती है कि मृत्यु किसी हिंसक अपराध के दौरान हुई थी। वास्तव में, आग लगने पर शरीर यह स्थिति धारण कर लेता है। शव परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, यह भी स्पष्ट है कि जलना सतही था और तापमान इतना अधिक नहीं था, इसलिए सांस लिए बिना या सांस अंदर लिए बिना तत्काल मृत्यु संभव नहीं थी। जलने की चोट के मामले में, विशेष रूप से एक छोटे कमरे के अंदर मिट्टी के तेल से, किसी खुली जगह में नहीं, कार्बन कणों को अंदर लेने का हर मौका था। मृतक का मुंह बंद था, लेकिन जीभ बाहर निकली हुई थी जो जलने के परिणामस्वरूप मृत्यु का संकेत नहीं है, बल्कि गला घोंटने/दम घुटने से मृत्यु का संकेत है। मुक्केबाजी की स्थिति जलने की चोट का एक लक्षण है और प्रतिरोध का भी लक्षण है।

13. वर्तमान मामले में, जीभ बाहर निकली हुई थी। स्वरयंत्र, कंठ नाली और श्वासनली के अंदर का लिख के कार्बन कणों की अनुपस्थिति, लाल रेख महत्वपूर्ण प्रतिक्रि की अनुपस्थिति, और मुक्केबाजी मुद्रा की उपस्थिति, विशेष रूप से एक भीड़भाड़ वाले बंद कमरे के अंदर मृत्यु से पूर्व जलने की चोट के मामले में, संकेतक हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस तथ्य के बारे में कि जलने की चोट मृत्यु के बाद की है, न कि मृत्यु से पहले की। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गला घोंटकर की गई मृत्यु का मामला है।

14. पंचनामा प्रदर्श पी.8 के अनुसार, वह खाट जिसमें वह सो रही थी, वह भी जली हुई थी और एक चिमनी और माचिस भी वहाँ थी लेकिन अन्य सभी सामान सुरक्षित रखे हुए थे, यह दर्शाता है कि यदि व्यक्ति जीवित होता और उसे आग लगाई जाती तो निश्चितरूप से वह खुद को बचाने की कोशिश करता और उसके लिए वह चिल्लाता और खुदको बचाने के लिए यहाँ – वहाँ व्याकुल होकर घूमता। डॉ. जी.पी. नायडू के अनुसार, श्वासनली और मरम्मत प्रक्रियाओं में कार्बन के कण नहीं पाए गए, इसलिए यह स्पष्ट है कि गला घोंटने के बाद, उसे आग लगा दी गई थी। यह पंचनामा से भी स्पष्ट है कि वह खाट पर मृत पाई गई थी और उसके शरीर पर ढका हुआ भी था। भले ही वह जलने के दौरान जीवित होती, निश्चित रूप से वह खाट से कूद कर खुद को बचाने की कोशिश करती। ये सभी परिस्थितियाँ यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि उसे उसकी मृत्यु के बाद आग लगाई गई थी।

15. गवाह लोरिकराम अ.स.1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका द्रोपदी बाई अभियुक्त/अपीलकर्ता की पत्नी थी। जमुनाबाई अपीलकर्ता की माँ है जब कि मुसम्मात केजाबाई पहली पत्नी है। उसने यह भी बयान दिया है कि अपीलकर्ता की माँ– जमुनाबाई उसके पास आई और बताया कि उसके घर से कुछ धुआँ निकल रहा था और ऐसा लगता है कि आग लग गई थी और उससे तुलसीराम और मुसम्मात केजाबाई को बुलाने के लिए कहा जो खेत गए हुए थे। इस गवाह के अनुसार, वह उन्हें बुलाने गया था और गाँव के ठीक बाहरी इलाके में अपीलकर्ता तुलसीराम और मुसम्मात केजाबाई मिले और उन्हें घटना का संदेश दिया गया। उस समय अपीलकर्ता तुलसीराम के हाथ में टाँगिया कुल्हाड़ी थी और वह अपने घर की ओर चल पड़ा और यह गवाह भी उसके साथ हो लिया। उनके साथ मुसम्मात केजाबाई भी मौजूद थी। उसने मुसम्मात केजाबाई के साथ अपीलकर्ता को टाँगिया से दरवाजा काटते हुए देखा। इस गवाह के अनुसार, दरवाजा बाहर से बंद था न कि अंदर से, इस लिए उसने तुलसीराम से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है जिसपर अपीलकर्ता ने उसे बताया कि दरवाजा अंदर से बंद है जब कि इस गवाह ने बयान दिया है कि दरवाजा बाहर से बंद नहीं था और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटना के बाद किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। उसने मृतका की स्थिति भी बताई है जो पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है। उसने यह भी बताया कि जब उसने तुलसीराम से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो तुलसीराम ने उसे बताया कि कुछ झगडे के कारण वह गुस्सा हो गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तुलसी ने उनके बीच झगड़ा किया, और फिर उसका गला घोंट दिया। इस मामले के दृष्टिकोण में, उसके सामने किया गया अतिरिक्त न्यायिकत्य कथन विश्वसनीय नहीं है क्यों कि लोरीक राम ने यह साक्ष्य पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं दिया और चुप रहा, लेकिन उसने दरवाजे की स्थिति के बारे में जो कुछ कहा, उसका खंडन नहीं किया गया। उसका साक्ष्य एक मात्र साक्ष्य है जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया।

16. अ.स.2 मुरितराम, जो मृतका द्रौपदी के पिता हैं, ने कहा है कि जब तुलसीराम अपनी पत्नी के रूप में श्रीमती केजाबाई को लाया, तब मृतका द्रौपदी ने उस से झगड़ा शुरू कर दिया

और इससे मृतका को उसके घर आने के लिए प्रेरित किया। जब वह उस के गांव गया तो वह इस गवाह के साथ थी। उसने यह भी कहा है कि मृतका ने उसे बताया कि वह तुलसीराम के घर नहीं जाएगी, जिस पर उसने तुलसी से अपनी बेटी को ले जाने के लिए कहा और तुलसीराम वहां आया और सुलह के बाद वह तुलसीराम के साथ चली गई। सुलह पंचायत के सामने हुई थी। इस मामले के दृष्टिकोण में, यह स्पष्ट है कि श्रीमती केजाबाई के आने के बाद तुलसीराम मृतका के प्रति अनिच्छुक था और इस कारण वे अक्सर बातचीत नहीं करते थे। लक्ष्मी नारायण शर्मा अ.स.5 ने कहा है कि जब पंचायत बुलाई गई, तो पंचायत द्वारा मृतका द्रौपदीबाई से पूछा गया कि वह तुलसीराम के घर क्यों नहीं जाना चाहती, जिस पर उसने जवाब दिया कि अगर वह जाएगी तो वह अपनी और अपनी सास के बीच झगड़े के कारण जीवित नहीं रहेगी। इस प्रकार, इस गवाह से मृतका की घबराई हुई और तनाव पूर्ण स्थिति स्पष्ट है। यह भी मुरितराम अ.स.2 और लक्ष्मी नारायण शर्मा अ.स.5 के साक्ष्य में आया है कि मृतका और तुलसीराम के बीच संबंध तनाव पूर्ण हो गए थे। यह भी उन परिस्थितियों में से एक है जो लोरीक राम के साक्ष्य में सिद्ध हुई है कि जब उसने आरोपी को उसके घर में आग लगने की सूचना दी, तो आरोपी तुलसीराम कुल्हाड़ी टंगिया लेकर उस जगह आया और तुरंत उस कुल्हाड़ी से दरवाजा काटने की कोशिश की और दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की, बावजूद इसके कि दरवाजा बाहर से बंद था अंदर से नहीं। साक्ष्य का यह भरा लोरीक राम द्वारा तब कहा गया जब वह उस समय उसके साथ था और अभियुक्त बाहर से दरवाजा काट रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अपीलकर्ता ने स्वयं प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि घटना से खुद को बचाने के लिए उसने झूठी प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई थी, जब कि डॉक्टर जी.पी. नायडू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि श्वासनली और मरम्मत प्रक्रियाओं में कार्बन के कण नहीं पाए गए थे, इसलिए यह स्पष्ट है कि उसे मृत्यु के बाद जलाया गया था और मृत्यु मानवता प्रकृति है। अभियोजन के लक्ष्य में यह भी सामने आया है कि अपीलकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने उक्त अपराध नहीं किया है।

18. उपरोक्त परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि तुलसीराम एक मात्र व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी–द्रौपदी का गला घोंटा था और उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा जघन्य अपराध नहीं किया था और गला घोंटने के सबूत को छिपाने के लिए, उसने मिट्टी का तेल डाला और फिर उसे आग लगा दी। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए

साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है और अपीलकर्ता को भ.द.स. की धारा 201 और 302 के तहत सही दोषी पाया है, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को केवल भ.द.स. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

19.अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्यों और अपीलकर्ता द्वारा लिए गए बचाव की बारीकी से जांच करने पर, हम इस विचार के हैं कि अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्य यह निष्कर्ष निकलने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी द्रौपदी की गला घोंटकर हत्या की और मृत्यु के बाद उसने मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगादी और इस जघन्य अपराध के लिए, उसकी पत्नी की हत्या के आरोप को आसानी से अपीलकर्ता पर लगाया जा सकता है, जो भ.द.स. की धारा 302 और 201 के तहत दंडनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.परिणामस्वरूप, अपील को उपरोक्त सीमा तक खारिज किया जाता है। अपीलकर्ता की भ.द.स. की धारा 302 और 201 के तहत दोष सिद्धि और उसके तहत दी गई सजा की पुष्टि की जाती है।

हस्ता/-	हस्ता/-
टी. पी. शर्मा	आर.एल. झंवर
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

translated by priti rout